पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 317/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 11.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सरायमीर: किशोरी से छेडखानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना सरायमीर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी राज पुत्र सुन्दर व विपक्षी सत्यम पुत्र चतुरसेन पता निवासीगण ग्राम राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आमजगढ़ द्वारा वादिनी की लड़की को बीच रास्ते में रोककर जबरन अपना नंबर दे रहे थे जब लडकी नम्बर नहीं ली तब सत्यम द्वारा जबरन लडकी के साथ छेडखानी किया जाने लगा और लडकी के चिल्लाने पर दोनों गाली देते हुए वहाँ से चले गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 530/24 बनाम 01.राज पुत्र सुन्दर व 02. सत्यम पुत्र चतुरसेन नि0गण राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.10.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्यम कुमार पुत्र चतुर सेन निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को पुनापोखर मोहल्ला में शाहपुर मोड़ समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्याया0 किया गया।

02. थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़: महिला से मार-पीट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी अजीत पुत्र रामसुरत निवासी ग्राम मोहम्मदपुर (कोडरा) थाना जीयनपुर द्वारा दिनांक 7/10/2024 को समय करीब 3 बजे वादिनी को रास्ते में रोककर गाली गुप्ता देते हुये मारने पीटने लगा व जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 467/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/74 BNS बनाम अजीत पुत्र रामसुरत निवासी ग्राम मोहम्मदपुर (कोडरा) के विरुद्ध पंजीकृत किया।

विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 11.10.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत पुत्र रामसुरत निवासी ग्राम मोहम्मदपुर (कोडरा) थाना जीयनपुर आजमगढ़ को मोहम्मदपुर तरौका लिंक मार्ग के पास से समय करीब 9.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्ययालय किया गया।

03.थाना- मेंहनगर जनपद आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2024 को वादी यदुराई पुत्र स्व0 सन्तु ग्राम दासू पट्टी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी परविन्द पुत्र श्रीनाथ ग्राम विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ की शादी वादी की पुत्री प्रेमशीला के साथ करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी। पीडिता का पति उसको हमेशा मारता पीटता था व जान से मारने की धमकी भी देता था। दिनांक -06-10-2024 को समय करीब 12.30 बजे रात्रि वादी को सूचना मिली कि प्रेमशीला की तबियत खराब हो गई जिसका स्थानीय डाक्टरो से ईलाज कराया गया किन्तू दौराने इलाज उनकी मृत्यु हो गई जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 415/24 धारा 105 BNS बनाम परविन्द पुत्र श्रीनाथ ग्राम विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 11.10.2024 को उ0नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त परविन्द पुत्र श्रीनाथ ग्राम विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

04.थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़: मोबाइल चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक दि. 10.10.24 वादी मुकदमा शीनू चौरसिया पुत्र स्व0 अशोक चौ0 मोहल्ला आसिफगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्त अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी निवासी बलरामपुर डिग्री कालेज के पास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष द्वारा वादी का 02 मोबाइल समय करीब

5.30 बजे तकिया कोट रोड पर मूर्ती पण्डाल से चोरी कर लिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 568/24 धारा 303(2) बीएनएस को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 10.10.24 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी निवासी बलरामपुर डिग्री कालेज के पास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को समय 15.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 684/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 568/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम– उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद, कां0 रणवीर कुमार यादव, कां0 सत्येन्द्र पाठक थाना कोतवाली आजमगढ़

05.थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़: गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 10.10.2024 को वादिनी दुर्गावती पत्नी संजय राजभर निवासी ग्राम भेड़ुही पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी अच्छे उर्फ आशिक पुत्र रामलगन राजभर व विपक्षी अनीता पत्नी रामलगन राजभर ग्राम भेड़ुही पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी के लड़के निरंजन पुत्र

संजय फूलपुर को पुरानी रंजीश को लेकर गाली गुप्ता देते हुए व कुदाल से जान से मारने की नियत से सर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और जब वादिनी बचाने गई तो विपक्षी द्वारा मार पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 508/24 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम अच्छे उर्फ आशिक पुत्र रामलगन राजभर व अनीता पत्नी रामलगन राजभर निवासीगण ग्राम भेड़ुही पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 11.10.2024 को उप निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 01.अक्षय कुमार राजभर उर्फ आशिफ पुत्र रामलगन राजभर व 02.अनीता देवी पत्नी रामलगन राजभर निवासीगण ग्राम भेड़ुही पोस्ट मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 10:30 बजे मुडियार ईदगाह के पास नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06.थाना- बिलरियागंज जनपद आजमगढ़: सोशल मीडिया द्वारा धोखाधड़ी करने वाला 01 आभियुक्त व 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2024 को आवेदक साकिर आजमी पुत्र अबुलैश, मुहम्मद राशिद पुत्र शमशाद अहमद मौजा शेखूपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी सामिया पुत्री मुहम्मद अख्तर खान निवासी ग्राम सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वर्ष 2021 में सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम आईडी से अपना नाम पता व फोटो छिपाकर धोखाधड़ी व छल व कूटरचना करके अन्य दूसरे का फोटो व नाम लगाकर वादी से कई किस्तों मे रू0 10 लाख ट्रान्सफर करवाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 310/2024 धारा 34/419/420/467/468/471/504/506 भादवि व 67बी आई टी एक्ट व दि0घ0 व समय भिन्नभिन्न, घटनास्थल अ0त0 दि0सू0 10.09.2024 व समय 18.53 वादी श्री साकिर आजमी पुत्र अबुलैश नि0 शेखूपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम 01. सामिया पुत्री मुहम्मद अख्तर खान, 02. आयशा पुत्री मुहम्मद अख्तर खान 03. आतिफ पुत्र मुहम्मद अख्तर खान 04. चुन्नी पत्नी मुहम्मद अख्तर खान 05. मो अख्तर खान पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.10.2024 को निरीक्षक अपराध अशोक कुमार तिवारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तो 1. सामिया पुत्री मुहम्मद अख्तर खान उर्फ मुन्नू 2. आयशा पुत्री मुहम्मद अख्तर खान उर्फ मुन्नू 3. आतिफ पुत्र मुहम्मद अख्तर खान उर्फ मुन्नू 4. चुन्नी उर्फ साजिदा बेगम पत्नी मुहम्मद अख्तर खान उर्फ मुन्नू निवासीगण सीधा सुल्तानपुर थानानिजामाबाद जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता निकट टेढ़िया मस्जिद गुलामी का पुरा किराये का मकान थाना कोतवाली .जनपदआजमगढ़ को गुलामी का पुरा से समय करीब 12.30 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बिलरियागंज
"महिला डेस्क"
महिला हेल्प लाईन नम्बर
डायल
समाधान
द्वितीय